Public Notice

Chhattisgarh State Power Distribution Company Ltd., Raipur
(A Govt. of Chhattisgarh Undertaking)

In compliance to the provisions contained in section 45, 62, & 64 of Electricity Act '2003 read together with CSERC (Terms & Conditions for determination of tariff according to Multi-year Tariff principles and methodology and procedure for determination of Expected revenue from tariff and charges) Regulations 2015, Chhattisgarh State Power Distribution Company Ltd. has filed yearly tariff petition comprising of provisional true-up for 2016-17, revised aggregate revenue requirement for 2018-19 & determination of retail tariff for 2018-19 before Hon'ble Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission. The petition is registered vide 66/2017(T). As per petitioners assessment revised revenue requirement of 11422.33 Cr and income from sale of power at existing tariff 13898.54Cr leads into standalone surplus of 2476.22 Cr during 2018-19, but after taking deficit of 2584.89 Cr. towards provisional true up 2016-17 instant petition of CSPDCL carry a net deficit of 108.68 Cr. during 2018-19, which is subjected to outcome of various sub-judice matters and grant of revenue subsidy if any, extended by State Government.

Based on the above revenue status petitioner has requested following changes in existing tariff schedule for 2018-19:-

1) Change in applicability of LV-1 & HV-6, and
2) Revision in energy charges of HV-1: Railway Traction, and
3) Revision in load factor rebate for HV-4: Steel Industries, and
4) Uniform five (5) paise hike in energy charges across all categories (except Railway traction),

Copies of the Tariff petition in English and gist in Hindi will be available in the offices of CSERC and Chief Engineer (RA&PM) CSPDCL, Dangania Raipur and CSPDCL's Regional / Circle Offices of O&M at Raipur, Bilaspur, Durg, Jagdalpur, Rajnandgaon and Ambikapur. Intending persons can purchase tariff petition on any working days after making payment of Rs. 35 0/- for English and Rs. 50/- for Hindi copy. Copy of the petition / gist may be obtained by post on additional payment of Rs. 50/- towards postage fee.

The notice and petition along with subsequent submission by CSPDCL will be available on the Company's website www.cspdcl.co.in and in Commission's website www.cserc.gov.in Persons intending to file objection / suggestion / views relating to this petition may file with copies of documents and supporting evidences thereof directly to Chief Engineer (RA&PM), 4th Floor, Sewa Bhavan, CSPDCL, Raipur and Secretary, CSERC, Irrigation Colony, Raipur, within 21 days from the publication of this Public Notice in newspapers. Advance copies of objection/suggestion/views may be sent through fax to CSPDCL at No. 0771-2574442 and CSERC at No. 0771-4073553. During course of this petition separate notice for hearing to intended persons may be published by Hon'ble Commission.

Chief Engineer (RA&PM)
CSPDCL : Raipur

आम सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 45, 62 एवं 64 एवं उसके अन्तर्गत अधिसूचित छ.रा.विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांत पर आधारित टैरिफ निर्धारण के लिए नियम एवं शर्ते एवं टैरिफ एवं दरों पर आधारित राजस्व आकलन के निर्धारण हेतु प्रक्रिया एवं प्रणाली संबंधी) नियामावली 2015 सहित प्रभावशील अन्य अधीनस्थ विधायन के प्रावधानो के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत याचिका में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए अनंतिम ट्रुअप, वर्ष 2018–19 के लिये पुनरीक्षित राजस्व आवश्यकता, एवं वर्ष 2018–19 के लिए विद्युत दरों के निर्धारण का प्रस्ताव सम्मिलित है जिसे याचिका क्रमांक 66/2017(T) के रूप में पंजीबद्ध किया गया है। कंपनी के अनुमान के अनुसार अकेले वर्ष 2018–19 के लिये पुनरीक्षित राजस्व आवश्यकता 11422.33 करोड़ एवं वर्तमान टैरिफ पर बिजली के विक्रय से 13898.54 करोड़ के आधार पर कुल 2476.22 करोड़ का अधिक राजस्व आपेक्षित हैं, जबकि वर्ष 2016–17 के लिये 2584.89 करोड़ की हानि के अनंतिम ट्रुअप के कारण वर्ष 2018–19 की प्रश्नाधिन टैरिफ याचिका कुल 108.68 करोड़ की हानि मानकर तैयार की गई है। उपरोक्त याचिका विभिन्न न्यायालीन प्रकरणों एवं राज्य शासन से प्राप्त होने वाली सब्सिडी की राशि यदि कोई हो तो, से प्रभावित रहेगी।

उपरोक्त राजस्व स्थिति के आधार पर याचिका कर्ता ने वर्ष 2018–19 के लिये वर्तमान में प्रचनित उपभोक्ता दरों की अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन प्रस्तावित किये है:–

01. टैरिफ श्रेणी एलवी–I & एचवी–6 की प्रयोज्यता में परिवर्तन, एवं

02. एचवी–I रेल्वे कर्षण टैरिफ श्रेणी के लिये ऊर्जा प्रभार की दर में परिवर्तन, एवं

03. एचवी–4 स्टील उद्योग के लिये लोड़ फैक्टर पर आधारित छूट की सीमा में परिवर्तन, एवं

04. रेल्वे कर्षण को छोड़कर अन्य सभी उपभोक्ता श्रेणियों के ऊर्जा प्रभार में 5 पैसे प्रति यूनिट की एकसमान वृद्धि।

कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका (अंग्रेजी) एवं सार संक्षेपिका (हिन्दी) की प्रतियां राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय एवं छराविवितकंम के मुख्य अभियंता (नि.का. एवं ऊ.प्र.) कार्यालय डंगनिया रायपुर सहित रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर एवं अंम्बिकापुर के क्षेत्रीय एवं वृत्त कार्यालयों में उपलब्ध हैं जिन्हें रू. 350/– अंग्रेजी प्रति तथा रू. 50/– हिन्दी प्रति के किसी भी कार्यालयीन दिवस में भुगतान के साथ प्राप्त किया जा सकता है। इच्छूक व्यक्ति याचिका की प्रति उक्त भुगतान के साथ–साथ डाक व्यय के रूप में अतिरिक्त रू. 50/– के भुगतान से भी प्राप्त कर सकते हैं।

कंपनी की वेबसाईट www.cspdcl.co.in एवं आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर यह आम सूचना, याचिका की प्रति एवं अनुगामी प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की प्रति भी उपलब्ध होगी। कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त याचिका पर आपत्ति या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति अपने सुझाव/आपत्ति/दृष्टिकोण इससे सबंधित दस्तावेजों सहित मुख्य अभियंता (नि.का. एवं ऊ.प्र.) छराविवितकंम रायपुर एवं सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, शांति नगर रायपुर को समाचार पत्रों में इस आम सूचना के प्रकाशित होने की तिथि से 21 दिनों की समयसीमा में भेज सकते हैं। सुझाव/आपत्तियों/दृष्टिकोण की अग्रिम प्रति छ.रा.विद्युत वितरण कंपनी फैक्स द्वारा नंबर 0771–2574442 पर एवं आयोग को नंबर 0771–4073553 पर भी भेजी जा सकती है। उक्त याचिका पर इच्छुक व्यक्तियो की सुनवाई के लिए माननीय आयोग द्वारा सूचना का प्रकाशन पृथक से किया जावेगा।

मुख्य अभियंता (नि.का. एवं ऊ.प्र.)
छराविविकंमर्या, रायपुर